न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर,जिला–दौ

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज
	शेर सिंह बनाम बाबूलाल मु.नं.– 69/25 किस्म – T.ए.
	28.4.26 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
69 / 2025	03.07.2025	28.04.2026

बउनवान

1. शेरसिंह पुत्र बनैसिंह, निवासी बनावड़, तहसील मण्डावर, जिला दौसा।

..प्रार्थी / सायल

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र भंवर, निवासी बनावड़, तहसील मण्डावर, जिला दौसा।
2. फूलवती पुत्री भंवर, निवासी बनावड़, हाल बराड़ा तहसील कठूमर जिला अलवर।
3. बनैसिंह पुत्र भंवर, निवासी बनावड़, तहसील मण्डावर, जिला दौसा।
4. अमरसिंह दत्तक पुत्र धर्म, निवासी बनावड़, तहसील मण्डावर, जिला दौसा।
5. बादाम पुत्र ख्याली, निवासी बनावड़, तहसील मण्डावर, जिला दौसा।
6. सुनीता पत्नी वीरसिंह, निवासी हाडौली, तहसील मण्डावर, जिला दौसा।
7. मुकेश देवी पत्नी विजयसिंह, निवासी हाडौली, तहसील मण्डावर, जिला दौसा।
8. लालाराम पुत्र रामस्वरूप, निवासी बनावड़, तहसील मण्डावर, जिला दौसा।
9. उप पंजीयक महोदय, मण्ड़ावर जिला दौसा।
10. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मण्डावर, जिला दौसा।

..अप्रार्थीगण / गैरसायलान

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थी / सायल – श्री धर्मसिंह राजपूत।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

1. प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी की विवादित आराजीयात ग्राम बनावड, तहसील मण्डावर के खसरा सं. 816 रकबा 0.50 हैक्टे. में सायल का 63/340, गैरसायल संख्या 1 व 2 का 1/10, तथा गैरसायल संख्या 1 लगा. 3 की माता किशनी देवी का 1/20 हिस्सा है जिसकी मृत्यु हो जाने के कारण उनके विधिक वारिस गैरसायल संख्या 1 लगायत 3 होने के कारण उक्त 1/20 हिस्सा ये विधिक रूप से प्राप्त करने के अधिकारी है तथा गैरसायल सं. 4 का 1/5, गैरसायल सं. 5 का 2/5, गैरसायल सं. 6 का 9/170 भाग है। विवादित आराजी खसरा सं. 1000 में सायल का 1/8, गैरसायल सं. 1 का 1/16, तथा गैरसायल सं. 5 का 1/2, गैरसायल सं. 7 का 3/16, गैरसायल सं. 6 का 1/8 भाग है। विवादित आराजीयात आराजीयात खसरा नं. 809, 810, 811, 815, कुल किता 4, कुल रकबा 0.71 हैक्टे., में सायल का 67/340, गैरसायल सं. 1 व 2 का 1/10, गैरसायल सं. 8 का 3/5 भाग, गैरसायल सं. 6 का 9/170 तथा मृतक किशनी देवी का 1/20 हिस्सा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

है जिसके विधिक वारिस गैरसायल सं. 1 लगायत 3 होने के कारण उक्त 1/20 भाग के समान भाग के खातेदार काश्तकार है। विवादित आराजीयात सायल एवं गैरसायलान की संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी है जिसमें सायल का खसरा सं. 816 पर कब्जा काश्त है क्योंकि सायल द्वारा खातेदार बनैसिंह पुत्र भंवर, जाति गुर्जर, निवासी बनावड से खरीद किया था जिसका कब्जा भी खसरा सं. 816 पर था। उक्त बयनामा उसी खसरा सं. पर सायल को खातेदार द्वारा कब्जा दे दिया गया था जिस पर वह काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। दिनांक 30.06.2025 को सायल अपनी खातेदारी एंव कब्जेशुदा भूमि पर काश्त कर रहा था कि अचानक गैरसायलान आये और आते ही कहने लगे कि तुम्हारे पास तुम्हारा हिस्सा से अधिक भूमि पर कब्जा है इसलिये अब उक्त आराजी का पुनः बटवारा करेगें तब सायल ने गैरसायलान से कहा कि मेरा तो खसरा सं. 816 पर पर कब्जा है तथा खसरा सं. 816 पर कब्जा काश्त है जिस पर पूर्व खातेदार बनैसिंह का कब्जा था तथा उससे मुझ सायल द्वारा आराजी को क्रय किया गया है तथा खसरा सं. 816 पर ही उसके द्वारा मुझे कब्जा दिया गया है तथा शेष खसरा नम्बरों पर हिस्से व कब्जे के अनुसार अन्य गैरसायलान का कब्जा काश्त है लेकिन गैरसायलान इस बात को मानने को तैयार ही नहीं हुये तथा उन्होने सायल को खसरा सं. 816 के कब्जा काश्त में अवरोध पैदा करने एवं उक्त कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तन करने के उदेश्य से पुख्ता करने की धमकी दी तथा पत्थर बजरी डाल कर निर्माण कार्य करने पर आमादा हो गये। इसके अलावा आराजी को विक्रय करने की धमकी दी। सायल के मना करने के बावजूद भी वो किसी भी प्रकार से मानने को तैयार नहीं है। सायल ने गैरसायलान से तहसील में चलकर विधिवत विभाजन कराने का निवेदन किया लेकिन गैरसायलान ने कहा कि हमे विभाजन की आवश्यकता नहीं है। हम तो अच्छी भूमि पर ही कब्जा करेंगे। इस प्रकार गैरसायलान ने आपसी सहमति से विभाजन कराने को साफ इन्कार कर दिया। इस कारण प्रार्थना पत्र हाजा न्यायालय में प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। गैरसायलान के विरुद्ध विधिवत विभाजन कराये जाने से स्पष्ट इन्कार कर दिये जाने के कारण सायल को भारी नुकसान हो रहा है प्रार्थना पत्र दिनांक 30.06.2025 को गैरसायलान द्वारा तकास्मा कराये जाने हेतु तहसील कार्यालय में चलने से स्पष्ट इन्कार कर दिये जाने से बमुकाम बनावड तहसील मण्डावर में पैदा हुआ है यही तारीख प्रार्थना पत्र के लिये मुखास्मत है। सायल वादग्रस्त आराजी का सहखातेदार है तथा अपने हिस्से की आराजी पर काबित है इसलिये प्रथम दृष्ट्या मामला सायल के पक्ष में बखूबी साबित हैं। सुविधा का सन्तुलन भी सायल के पक्ष में बखूबी साबित है। यदि गैरसायलान को पाबंद नहीं किया गया तो वे अपनी ऐलानिया धमकी में सफल हो जावेगें जिससे सायल को अपूरणीय क्षति होगी जबकि गैरसायलान को पाबंद करने पर उनको किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं है। इस प्रकार अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी सायल के पक्ष में बखूबी साबित है। अतः निवेदन है कि गैरसायलान को दौराने दावा इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि विवादित आराजीयात में सायल के कब्जा में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करें, ना ही किसी अन्य से ही करावे, अपने हिस्से की आराजी को बिना विधिवत तकास्मा हुये किसी दीगर व्यक्ति को रहन बय या अन्य किसी

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

प्रकार से मुन्तकिल नहीं करे और ना ही कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तित करें। राजस्व रिकॉर्ड व मौके की स्थिति को यथावत बनाये रखे।

2. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुतिकरण के समय अप्रार्थीगण के विरुद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने के लिए बहस का निवेदन किया। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 03.07.2025 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी कि अप्रार्थी सं. 01 लगा. 08 उक्त विवादित आराजीयात खसरा सं. 816, 1000, 809, 810, 811, 815 वाके ग्राम बनावड़, पटवार हल्का बनावड़, तहसील मण्डावर, जिला दौसा के मौके की स्थिति बनायें रखें।

3. अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए। नोटिस की तामील के बावजूद, अप्रार्थी सं. 01 लगा. 10 ने न्यायालय में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इसलिए इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी।

4. प्रार्थना पत्र पर विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तद्नुसार प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र, प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी का एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं बहस प्रार्थी अभिभाषक पर मनन किया। अस्थायी व्यादेश जारी किये जाने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में :

212. व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबंध *– इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ–पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाये कि –*

(क) किसी सम्पत्ति का, जिससे ऐसा वाद वा कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, या

(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के अनुक्रम में उक्त सम्पत्ति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है।

तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश कर सकेगा और, यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन व्यादेश किया गया है अथवा जिसकी सम्पत्ति के बारे में रिसीवर नियुक्त किया गया है इतनी रकम की नकद प्रतिभूति दे सकता है जितनी, वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विनिश्चित होने की दशा में विरोधी पक्षकार को मुआवजा देने के लिए न्यायालय अवधारित करे, और ऐसी प्रतिभूति की रकम जमा किये जाने पर न्यायालय, यथास्थिति, व्यादेश या रिसीवर की नियुक्ति के आदेश को प्रत्याहृत कर सकेगा।

5. प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने के लिए प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं को तय किया जाना है। इस प्रार्थना पत्र से संबद्ध वाद पत्र तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष के लिए प्रस्तुत किया गया है। जमाबंदी संवत् 2074–77 के अनुसार, प्रार्थी उक्त विवादित आराजीयात का रिकॉर्डेड खातेदार है। अप्रार्थीगण के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है। उक्त विवादित आराजीयात में वाद के लम्बित रहने की अवधि के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

दौरान, यदि अप्रार्थीगण के द्वारा पत्थर बजरी डालकर निर्माण कार्य किया जाता है है तो प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव होगा तथा इससे वाद बहुलता व मौके पर विवाद में बढ़ोत्तरी होगी। इसलिए सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में पाया जाता है। उक्त विवादित आराजीयात के मौके की वर्तमान स्थिति में यदि अप्रार्थीगण के द्वारा किसी प्रकार से बदलाव किया जाता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति का सिद्धांत प्रार्थी के पक्ष में पाया जाता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित है।

आदेश

6. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर ग्राम बनावड, पटवार हल्का बनावड, तहसील मण्डावर, जिला दौसा में स्थित विवादित आराजीयात खसरा सं. 816, 1000, 809, 810, 811, 815 हैक्टे. के सम्बन्ध में इस न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 03.07.2025 को प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध मूल वाद के निर्णीत होने तक, सम्पुष्ट (Confirm) किया जाता है तथा अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश इस आशय का जारी किया जाता है कि अप्रार्थीगण उक्त विवादित आराजीयात में मौके की वर्तमान स्थिति बनाये रखेंगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

7. निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 28.04.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)